न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-33/2011

तुलसाराम पुत्र गोमाराम जाति मेघवाल निवासी जालिमपुरा उप तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू(राज0)

---अपीलान्ट---

---बनाम---

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

--रेस्पोडेन्ट--

अपील द्वितीय निर्णय दिनांक 22-2-2011 द्वारा अपर जिला कलेक्टर झुन्झुनू एवं निर्णय दि0 16-6-2010 द्वारा नायब तहसीलदार मलसीसर ।

---0---

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति-

1-श्री नफीस अहमद एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री बिरजूसिंह शेखावत राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक- 9.7.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का ने नायब तहसीलदार मलसीसर को एक रिपोर्ट की कि तुलछाराम पुत्र गोमाराम जाति मेघवाल निवासी जालिमपुरा द्वारा आराजी ख0नं0 186 रकबा 0.14 हैक्टर राजकीय भूमि किस्म गै0मु0 रास्ता में से 30 मीटर भूमि पर डण्डा निर्माण कर अतिक्रमण किया है ।इस पर नायब तहसीलदार ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-91 का नोटिस गैरसायल को जारी किया। जिस पर गैर सायल के हाजिर होने पर उक्त आराजी पर अतिक्रमी घोषित कर उक्त

इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने प्रथम अपील विद्वान अपर जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहां अपील पेश की जिस पर बाद सुनवाई अपील खारिज कर दी जिस से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। अदालत मातहत विद्वान नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं देकर आदेश पारित किया है । तथा ना ही अपीलान्ट को जबाब देही का अवसर दिया गया ।अपीलान्ट ने कोई राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही किया है बल्कि अपीलान्ट ने अपने पटटा शुदा आराजी पर काबिज है । पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के घर के सामने के पडौसियों सर्व श्री जगदीश, दयानन्द पुत्रगण भींवाराम जाति जाट से मिलकर यह रिपोर्ट तैयार कर पेश की है ।अपीलान्ट का इस सरकारी रास्ते पर कोई अतिक्रमण नहीं है ।बल्कि इस रास्ते पर पडौसी जगदीश दयानन्द का कब्जा है ।मेरा कब्जा मेरे पट्टे पटटे की आराजी पर कब्जा है । अदालत मातहत में बिना मौके की जांच किये आदेश पारित किया है ।गैर मुमकीन रास्ता पर ग्राम पंचायत द्वारा पत्थरों का खुर्रा बनाया हुआ है । इस खुर्रा को छोडकर अपीलान्ट का मकान बना हुआ है। बल्कि इस खुर्रा को तौडकर जगदीश व दयानन्द ने इस पर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का ने इनके विरूद्ध कोई रिपोर्ट ने कर अपीलान्ट के विरूद्ध गलत रिपोर्ट की है ।जिसकी अदालत मातहत ने कोई जांच न कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर न देकर आदेश पारित किया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे

अपील दर्ज रजिस्टर की गई।रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट को अदालत मातहत में न तो सुनवाई का तथा ना ही जबाब देही का अवसर दिया गया है।अपीलान्ट का राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है । अपीलान्ट का मकान उसके पटटा शुदा भूमि पर ही बना हुआ है ।अपीलान्ट ने रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। रास्ते की आराजी पर ग्राम पंचायत द्वारा खुर्रा बनाया हुआ है। इस खर्रा की आराजी को छोडकर अपीलान्ट ने मकान बना रखे है बल्कि अपीलान्ट के पडौसी जगदीश दयानन्द ने रास्ते में बने खुर्रा को तोडकर अतिक्रमण कर रखा है । पटवारी हल्का ने यह रिपोर्ट गलत पेश की जिसकी मौके पर कोई जांच न कर अदालत मातहत ने अपना आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट द्वारा पेश साक्ष्य सबूतों पर भी कोई गौर न कर आदेश पारित किया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

विद्वान राजकीय पैरोकार ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित ठहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समूचित अवसर दिया जाकर आदेश पारित किया गया । अपीलान्ट ने राजकीय भूमि किस्म गैर मुमकीन रास्ता पर अतिक्रमण किया है । अदालत मात -हत ने केवल अपीलान्ट को अतिक्रमी रकबें से बेदख करने के आदेश दिये है जो उचित एवं विधिक है । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समहात की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का ने राजकीय भूमि खसरा नं0- 186 रकबा 0.14 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन रास्ता में से 30 वर्गमीटर पर डण्डा कर अति- -क्रमण किये जाने की रिपोर्ट की है । विवादित आराजी राजकीय दर्ज है तथा जिसकी किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज है । अदालत मातहत नायब तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

ने अपीलान्ट को नोटिस जारी किया । अपीलान्ट पर तामिल हुई अपीलान्ट स्वय हाजिर हुआ जबाब के लिये समय चाहा समय दिया गया। उपस्थिति के हस्ताक्षर है । इस कारण अपीलान्ट द्वारा यह कहना तो गलत है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया । विवादित आराजी राजकीय भूमि किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज है । जिस पर से अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बेदखल करने के आदेश दिये है जो उचित एवं विधिक है ।अदालत मातहत के इस आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान अपर जिला कलेक्टर झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 22-2-2011 एवं विद्वान नायब तहसीलदार मलसीसर का निर्णय दिनांक 16-6-2010 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 9.7.2018 को सुनाया गया।

9/7/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर